(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 650-तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-01-2003 पारित द्वारा आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण क्रमांक 55/अपील/1999-2000

———

ठा0अजयसिंह बघेल पुत्र मानसिंह बघेल
निवासी महात्मा गांधी मार्ग सोनकच्छ
जिला देवास म0प्र0

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

1-मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी हल्का सोनकच्छ
जिला देवास
2-श्रीमती मनोरमा बाई पति कमलचन्द्र जैन
निवासी राजेन्द्र मार्ग सोनकच्छ जिला देवास
3-पुरणसिंह पिता गोपालजी अहिर सेवानिवृत्त भृत्य
कालीसिंध मार्ग सोनकच्छ जिला देवास
4-नरेन्द्र कुमार पिता मधुकरराव
निवासी इंदौर
5-प्रकाशचन्द्र पिता फूलचन्द्र जैन (बाकलीवाल)
निवासी महात्मा गांधी मार्ग सोनकच्छ जिला देवास
6-श्रीमती सुधा बाकलीवाल पति प्रकाशचन्द्र बाकलीवाल
निवासी महात्मा गांधी मार्ग सोनकच्छ जिला देवास
7-मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास निगम
हस्तशिल्प हाट सोनगढी समिति
सचिव, अनुविभागीय अधिकारी
सोनकच्छ जिला देवास

.....प्रत्यर्थीगण

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/9/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-1-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कस्बा सोनकच्छ में हस्तशिल्प हाट के निर्माण हेतु 0.700 हेक्टेयर भूमि के हस्तान्तरण के लिये दिनांक 30-4-1997 को आदेश पारित कर भूमि हस्तशिल्प हाट के निर्माण हेतु आरक्षित की गई । इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 6-1-2003 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई है । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय ने स्वयं माना है कि उक्त योजना बंद हो गई है इस कारण निजी व्यक्ति की भूमि पर वाहन खडे हो रहे हैं व किसान का विस्तृत गोहा कम हो गया है । अधीनस्थ न्यायालयों ने वैधानिकता पर विचार नहीं करने में भूल की है जबकि मध्यप्रदेश हस्त शिल्प विकास निगम जो मध्यप्रदेश शासनके पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भोपाल के अधीनस्थ निगम को भूमि की आवश्यकता थी तो वह विधि अनुसार भू-अर्जन अधिनियम के अधीन भूमि अधिग्रहित विधि अनुसार मुआवजा देकर सक्षम अधिकारी से प्राप्त करता जो उसने नहीं किया व उसके लिये संहिता धारा 237 उपधारा 2 की शक्तिका प्रयोग विधि के प्रतिकूल है तथा उक्त योजना के लिये गोहा समाप्त करना विधि सम्मत नहीं है तथा संहिता धारा 237 व 234 के प्रावधान के अधीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशु महत्वपूर्ण है तथा चारागाह व गोठान की भूमि पहले से ही अपार्याप्त है उसे और कम करने की कार्यवाही से कृषकों का अधिकार संकटग्रस्त हो सकता है । इस कारण कृषकों के हित प्रभावित हो वहा अवैधानिकता व विधि का दुरूपयोग

समाप्त होना चाहिये इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालयो ने विचार न कर भूल की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी पक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक हित (हाट निर्माण) के लिये निजी भूमिस्वामीयों से उनकी भूमि लेकर समान मूल्य की शासकीय भूमि दी गई है, प्रश्नाधीन भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये 28 फीट का रास्ता भी छोडा गया है। अत: इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप किये जाने का कोई भी पर्याप्त आधार इस अपील में नहीं है ।

इस संबंध में 1998 आर.एन. 319 भवानी विरूद्ध लेखराज तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> ''धारा 44 (2)-तथ्यों के निष्कर्ष दो न्यायालयों द्वारा एक ही-कोई विपर्यास दर्शित नहीं-द्वितीय अपील में हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं ।''

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-1-2003 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर